

## यू0जी0सी0 रेगुलेशन 2009 / संशोधन 2016

दिनांक 11.जुलाई, 2009 के पूर्व, जिन अभ्यर्थियों द्वारा शोध उपाधि हेतु पंजीकरण कराया गया है, वे यू0जी0सी0 (चतुर्थ संशोधन) रेगुलेशन 2016 हेतु निम्नानुसार आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं:-

1. प्रार्थना-पत्र
2. स्वीकृति-पत्र की छाया प्रति
3. पंजीकरण जमा शुल्क रसीद की छाया प्रति
4. शोध प्रबन्ध मूल्यांकनार्थ जमा शुल्क रसीद की छाया प्रति
5. उपाधि की छाया प्रति
6. दो सेमिनार के प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति
7. दो प्रकाशित शोध-पत्र की छाया प्रति (ISSN सहित), जो उच्च स्तरीय जर्नल में प्रकाशित हो (रिसर्ज जर्नल)
8. विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत यू0जी0सी0 रेगुलेशन 2009 के प्रमाण-पत्र की छाया प्रति।
9. शोधनिर्देशक का प्रमाण-पत्र, जो विभागाध्यक्ष एवं प्राचार्य द्वारा अग्रसारित हो (प्रमाण-पत्र का प्ररूप निम्नानुसार होगा :-

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ0 .....विषय.....ने  
शाोध शीर्षक .....

.....पर शोध उपाधि (पी-एच0डी0 डिग्री) हेतु मेरे शोध निर्देशन में दिनांक .....  
को विश्वविद्यालय में पंजीकरण कराया तथा शोध कार्य पूर्ण कर दिनांक ..... को  
शोध प्रबंध मूल्यांकनार्थ विश्वविद्यालय में जमा किया। शोधार्थी/शोधार्थिनी ने पंजीकरण के  
उपरान्त नियमित रूप से उपस्थित होकर अपना शोध कार्य पूर्ण किया है। शोध अवधि में  
शोधार्थी/शोधार्थिनी की उपस्थिति.....प्रतिशत रही यह इनका नियमित एवं मौलिक कार्य  
है, शोधार्थी/शोधार्थिनी की खुली मौखिकी परीक्षा (Open Viva Voce) विश्वविद्यालय  
परिसर में दिनांक .....को मेरे, वाह्य परीक्षक डॉ0/प्रो0,.....

.....अन्य प्राध्यापको एवं छात्र/छात्राओं की उपस्थिति में सम्पन्न हुई।

शोधार्थी/शोधार्थिनी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत अध्यादेश (चतुर्थ  
संशोधन) 2016 के निम्न बिन्दुओं को पूर्ण करता है/करती है:-

1. शोधार्थी/शोधार्थिनी ने नियमित रूप से उपस्थित होकर शोध कार्य पूर्ण किया।
2. शोधार्थी/शोधार्थिनी का शोध प्रबन्ध दो वाह्य परीक्षकों द्वारा मूल्यांकित किया गया है।
3. शोधार्थी/शोधार्थिनी द्वारा .....प्रकाशित शोध-पत्र (रिसर्ज पेपर) उच्च स्तरीय जर्नल में प्रकाशित कराये गये हैं।
4. शोधार्थी/शोधार्थिनी द्वारा शोध कार्य से सम्बन्धित पेपर सेमिनार/संगोष्ठियों में प्रस्तुत किये गये हैं।
5. शोधार्थी/शोधार्थिनी की खुली मौखिकी परीक्षा दिनांक .....को विश्वविद्यालय परिसर में सम्पन्न हुई।

उक्त के आधार पर शोधार्थी/शोधार्थिनी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के  
(चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश 2016 का प्रमाण-पत्र निर्गत करने की संस्तुति की जाती है।

शोध निर्देशक का नाम  
एवं हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष का नाम  
एवं हस्ताक्षर

प्राचार्य का नाम  
एवं हस्ताक्षर